न्यायालय उपखण्ड.................................कठूमर जिला अलवर

नं. 1/21/19

तारीख रजू.............................

निर्भय सिंह बनाम राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1.11.19	वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी के वकील श्री भवानी शंकर शर्मा एडवो० ने पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली। दावा दर्ज पंजिका हो। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 5/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) SDO	
5/12/19	वकील वादी.....................उपस्थित। सांकेतिक आदेश दिनांक.......1.11.19.......... की पालना में पत्रावली वास्ते.......तलबी......... दिनांक.......24/12/19...........को पेश हो। RA तलबी आवश्यक 25 से जारी करें। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	993 / 5/12/19
24/12/19	वकील वादी.....................उपस्थित। सांकेतिक आदेश दिनांक.......1.11.19.......... की पालना में पत्रावली वास्ते.......तलबी इंतजार......... दिनांक.......24/1/20...........को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
24-1-20	चुनाव केरीकेन उप०/P.O. साहब चुनाव प्रशि. कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 13-3-20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13.3.20	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. साहब शान्ति व्यवस्था में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 8/5/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	न... अहकाम की ताम...
	8.5.20 मुताबिक कोरोना वप०/P.O. वजह Covid-19 पत्रावली दिनांक 10.7.20 को पेश हो। [illegible]	10/1/22
10.7.20	मुताबिक कोरोना वप०/P.O. वजह Covid-19 पत्रावली दिनांक 21/8/20 को पेश हो। [illegible]	10/[illegible]
21-8.20	मुताबिक कोरोना वप०/P.O. वजह Covid-19 पत्रावली दिनांक 29-1-21 को पेश हो। [illegible]	
29-1-21	वकील हड़ताल उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 1.11.19 की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 18/3/21 को पेश हो [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
18/3/21	वकील हड़ताल उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 1.11.19 की पालना में पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 17/6/21 को पेश हो [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
17/6/21	मुताबिक कोरोना वप०/P.O. वजह [illegible] पत्रावली दिनांक 10/1/22 को पेश हो। [illegible]	[illegible] 15/1/22

नम्बर हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/1/22	वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 1.11.19 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20/3/22 को पेश हो। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
10/3/22	वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित साबिक आदेश दिनांक ... की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6/5/22 को पेश हो। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
6.5.22	वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 1.11.19 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20/5/22 को पेश हो। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/5/22	वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 1.11.19 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 17/6/22 को पेश हो। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20.5.22	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित 12KS [illegible] में रखे जाने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में [illegible] ... सौरख दिनांक 25.5.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
25.5.22	पत्रावली आज प्रशमन शिविर के लिए अभियान कार्यार्थ पेश की गई में प्रस्तुत हुई पत्रावली पर प्रतिवादी [illegible] वीराबाई की ओर से पूर्व में ही तहसीलदार कठूमर का जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है एवं दौरान [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम की तामील
	मौका पर्चा मय सरपंच व सभी ग्रामवासी मौन द्वारा खातेदारी का नाम शुद्धि हेतु जताई गई। [illegible] फाइल पर बहस वकील वादी सुनी गई। एवं पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः अवलोकन व मनन किया गया है। अतः दावा वादी [illegible] व हुक्म इन्तकाल [illegible] साबित होने से डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है अतः दावा डिक्री किया जाता है [illegible] पर्चा डिक्री जारी हो। डिक्री पृथक से लिखवाया जाकर [illegible] किया जाता। पत्रावली [illegible] बाद तकमील जिला [illegible] अभिलेखागार में जमा हो। (सुनाया) ह० [signature] **उपखण्ड अधिकारी** **कठूमर (अलवर)**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/217/2019

वउनवान

1. निर्भयसिंह पुत्र श्री हरगुण जाति जाट निवासी सौंख तहसील कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------वादी

बनाम

1. राज0 राज्य जरिए जिला कलक्ट्रर अलवर वहैसियत प्रतिनिधि राजस्थान राज्य एंव वहैसियत खुद
2. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर जिला अलवर

दावाइस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री भवानी शंकर शर्मा एडवोकेट-- वकील वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक 25.05.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2028, 2168, 2027, 973, 1822, 1824, 1825, 1864, 1865, 1909, 1912, 1943, 1944, 1823, 1859, 1860 वाके ग्राम सौंख में स्थित है। वादी ने दावा के पैरा सं0 3 में पारिवारिक सजरा अंकित किया है। वादी मृतक हरगुण पुत्र रामचन्द का सगा पुत्र है। उपरोक्त आराजी वादी के मृतक पिता हरगुण की कब्जे का त खातेदारी की आराजी थी। वादी के पिता हरगुण के देहान्त होने के बाद विवादित आराजी का हक त्याग दिनांक 9.10.2001 को वादी की बहिनों द्वारा वादी के हक में व वादी के भाई अर्जुनसिंह के हक में तहरीर कराकर उप पंजीयक कठूमर द्वारा पंजीवद्व कराया था। जिस हक त्याग में वादी के भाई व वादी की बहिनों द्वारा वादी का नाम निर्भयसिंह के स्थान पर कल्लू दर्ज करा दिया था। जवकि समस्त दस्तावेजात बोटर कार्ड आधार कार्ड, बैंक पास वुक में वादी का नाम निर्भयसिंह दर्ज है। जिस गलत नाम के आधार पर प्रतिवादीगण के अधिनस्थ कर्मचारियों ने विना जांच किये ही हक त्याग में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

गलत नाम कल्लू के नाम से वादी के हक में हिस्सेनुसार आराजी का इन्तकाल दर्ज वो पंजीवद्व कर दिया। इस प्रकार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में निर्भयसिंह के स्थान पर कल्लू दर्ज हो गया है। जिस इन्द्राज से वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है जिसे वादी दुरूस्त कराकर अपना सही नाम निर्भयसिंह दर्ज कराने का अधिकारी है। गलत इन्द्राज की जानकारी पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड की फाइल बनाने जाने पर हुई। जव पटवारी हल्का ने कहा कि तुम्हारे नाम कोई जमीन नहीं है बल्कि कल्लू पुत्र हरगुण के नाम दर्ज है। जानकारी होने पर वादी ने प्रतिवादीगण व इनके अधिनस्थ कर्मचारियान से उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने वावत कहा तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। हाल राजस्व रेकार्ड में निर्भसिंह के स्थान पर कल्लू दर्ज रहने से वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है तथा काफी नुक ाान हो रहा है। कानूनी प्रावधानों के तहत वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व नोटिस धारा 80 जा0दी0 का मियादी 60 दिवस देकर व धारा 80(2) के प्रावधानों के तहत नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व ही दावा पे ा करने की इजाजत लेकर दावा दुरूस्ती का पेश किया गया है। अतः वादी ने दावा मुताविक अनुतोश डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी हाल, नकल हक त्याग दिनांक 09.10.2001, नकल इन्तकाल संख्या 3335, धारा 80 जा0दी0 का नोटिस व पोस्टल रसीद पेश की है जो भाामिल पत्रावली है।

पत्रावली आज फोलोअप कैम्प सौंख में पेश हुई। वादी का दावा राजस्व रेकार्ड में कल्लू के स्थान पर निर्भयसिह कराने का है। प्रकरण के सम्बन्ध में वादी के सही नाम की जांच पटवारी हल्का से गांव के लोगों की उपस्थिति में कराई गई। पटवारी हल्का ने जांच कर मौका पर्चा राजस्व कैम्प में ही पेश किया जिसमें पटवारी हल्का ने जाहिर किया कि कल्लू व हरगुण दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसके पिता का नाम हरगुण है। हरगुण के परिवार में कल्लू नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। बल्कि हरगुण के पुत्र का नाम निर्भयसिंह है जिसे कल्लू भी कहते है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, आदि में नाम निर्भयसिंह पुत्र हरगुण दर्ज है। कार्यालय ग्राम पंचायत सौंख के सरपंच ने अपने लेटर पेड पर यह लिखकर जाहिर किया कि कल्लू व निर्भयसिंह एक ही व्यक्ति है इसके पिता का नाम हरगुण है आधार कार्ड पहचान पत्र में निर्भयसिंह दर्ज है। राजस्व रेकार्ड में निर्भयसिंह का कर दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड तथा पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट व कार्यालय ग्राम पंचायत सौंख के लेटर पैड पर लिखित तहरीर के अवलोकन से यह सही है कि वादी का नाम कल्लू पुत्र हरगुण न होकर निर्भयसिंह पुत्र हरगुण जाति जाट निवासी सौंख ही है। हाल राजस्व रेकार्ड व हक त्याग में वादी का नाम निर्भयसिंह के स्थान पर कल्लू दर्ज किया है जो गलत है। वादी के आधार कार्ड, पहचान पत्र में नाम निर्भयसिंह पुत्र हरगुण दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज पटवारी हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट व कार्यालय ग्राम पंचायत के लेटर पेड पर लिखी तहरीर से यह स्पश्ट है कि हरगुण के कल्लू नाम का कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ बल्कि कल्लू व निर्भयसिंह एक ही व्यक्ति है। राजस्व रेकार्ड में निर्भयसिंह का नाम कल्लू गलत रूप से दर्ज है। अतः वादी विवादित आराजी में अपना नाम कल्लू पुत्र हरगुण के स्थान पर निर्भयसिंह दुरूस्त कराने का अधिकारी पाया जाता है। वादी अपने दावा को सावित करने में सफल रहा है। अतः दावा वादी डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी घोशणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2028, 2168, 2027, 973, 1822, 1824, 1825, 1864, 1865, 1909, 1912, 1943, 1944, 1823, 1859, 1860 वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर वावत हाल पटवार कागजात माल में वादी का नाम कल्लू पुत्र हरगुण के स्थान पर निर्भयसिंह पुत्र हरगुण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार संशोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 25.05.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्ववाद पत्र संख्या 1/217/2019

वउनवान

1. निर्भयसिंह पुत्र श्री हरगुण जाति जाट निवासी सौंख तहसील कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर

------डिक्रीदार

बनाम

1 राज0 राज्य जरिए जिला कलक्ट्रर अलवर वहैसियत प्रतिनिधि राजस्थान राज्य एंव वहैसियत खुद

2. राज0 राज्य जरिए तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर जिला अलवर

मदयुनान

दावाइस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादी वावत इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2028, 2168, 2027, 973, 1822, 1824, 1825, 1864, 1865, 1909, 1912, 1943, 1944, 1823, 1859, 1860 वाके ग्राम सौंख तहसील कठूमर वावत हाल पटवार कागजात माल में वादी का नाम कल्लू पुत्र हरगुण के स्थान पर निर्भयसिंह पुत्र हरगुण दर्ज करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार सं ोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आजदिनांक 25.05.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)